

नोटिस

न्यायालय/कार्यालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़।

दिनांक 09.10.2019

पत्रांक: 78 / वि०उप०व्य०नि०फो०आ० / 2019

श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी गनेश, निवासिनी मुहल्ला-नरौली, तहसील-सदर, जनपद-
आजमगढ़।.....परिवादिनी

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़।.....विपक्षीगण
परिवादिनी (श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी गनेश) आपको एतद् द्वारा सूचित किया
जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी
अधिकृत व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दिनांक 24.10.2019 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य
सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी (अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़।) को इस
संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.10.
2019 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा
उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 09.10.2019 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 09/10/2019

Received
21/10/2019
EE-E.D.P. -I Muzam



विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,
आजमगढ़ (उ०प्र०)

[Handwritten signature]